न्यायालय जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : ब्रजेन्द्र जैन

दीवानी नियमित अपील संख्या : 130/2025

मुकेश मीणा पुत्र श्री घासी राम मीणा, आयु 39 वर्ष, निवासी गढ़वासी (गुरूडवासी), तहसील चाकसू, जिला जयपुर, हाल निवासी मीणा बस्ती, उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी रोड, जयपुर (राजस्थान)

.....अपीलार्थी–प्रतिवादी

बनाम

श्रीमती राधा देवी पत्नी श्री प्रभू मीणा, आयु 53 वर्ष, निवासी उनियारा गार्डन, मोती डूंगरी रोड, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी–वादी

दीवानी नियमित अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 21.08.2025, दीवानी मूल वाद संख्या 47/2016 (सी0आई0एस0 नम्बर 47/2016) बउनवानी राधा देवी बनाम मुकेश मीणा, पीठासीन अधिकारी डॉ0 नीलम सुलभ जैन, आर.जे.एस., सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जयपुर महानगर–प्रथम

उपस्थित :–

1. श्री जयसिंह राजावत व श्री उमेश चन्द शर्मा, योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी–प्रतिवादी
2. श्री महेश कुमार शर्मा, योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी–वादी

निर्णय दिनांक : 19.03.2026

1. प्रस्तुत दीवानी नियमित अपील अपीलार्थी–प्रतिवादी मुकेश मीणा द्वारा प्रत्यर्थी–वादिया श्रीमती राधा देवी के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण), जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा नियमित दीवानी वाद संख्या 47/2016 (सी.आई.एस. संख्या 47/2016) श्रीमती राधा देवी बनाम मुकेश मीणा में पारित निर्णय दिनांक 21.08.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। आलोच्य निर्णय के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी–वादिया श्रीमती राधा देवी द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति व वसूली का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री करते हुए वादिया, प्रतिवादी से दावा खर्चा, मानसिक संताप एवं क्षतिपूर्ति की रकम 50,000/–रुपये की राशि दावा दायरी से तावसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी होने का आदेश पारित किया गया है।

2. संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा पुलिस थाना मोती डूंगरी में दिनांक 03.10.2015 को वादिया राधा देवी व अन्य के विरूद्ध लड़ाई–झगडा, गाली–गलौच व स्वयं व परिवार की सुरक्षा के खतरे के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिस पर पुलिस द्वारा दं.प्र.सं. के प्रावधानों के तहत जांच की गई व जांच के पश्चात थानाधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट को सही मानकर वादिया व अन्य गैर सायलान के विरूद्ध कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) जिला जयपुर (पूर्व) के समक्ष परिवाद अंतर्गत धारा 107, 116(3) दं.प्र.सं. में पेश किया, जहां पर परिवादी–सायल पक्ष के बयान लिए गए व बाद जांच कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) जिला जयपुर (पूर्व) द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.04.2016 द्वारा द्वारा माध्यम से पुलिस की ओर से प्रस्तुत परिवाद खारिज किया गया।

3. इसके पश्चात प्रत्यर्थी–वादिया द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी–प्रतिवादी के विरूद्ध दावा बाबत क्षतिपूर्ति एवं वसूली का इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी मुकेश मीणा ने अपने चाचा के बहकावे में आकर वादिया के मकान के पास वाले कमरे पर जबरन कब्जा करने की नियत से एक झूंठी रिपोर्ट दिनांक 03.10.2015 को पुलिस थाना मोती डूंगरी में दर्ज करवाई कि उसके पिता का निधन 20 वर्ष पूर्व होने से ही हम दोनों भाई व मां अपने गांव गढवासी, तहसील चाकसू में चले गये तथा दिनांक 03.10.2015 को उनियार गार्डन के मकान में आये, तो वादिया, धापू व सुनिल मीणा ने मिलकर गाली–गलौच और जान से मारने की धमकी दी। जिस पर पुलिस थाना मोती डूंगरी ने बाद जांच मुकदमा नं. 3185/2015 न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस मुख्यालय, जिला जयपुर (पूर्व) के समक्ष वादिया राधा देवी, धापू व सुनील के विरुद्ध पेश किया, जहां तीनों ने व जामनदार ने उपस्थित होकर जमानत करवाई और तीनों व्यक्ति बराबर अदालत की 12 पेशी पर उपस्थित हुए तथा वादिया का प्रति पेशी, जमानत पर, मौजूदा कार्यवाही एवं मानसिक प्रताड़ना संताप व दिनभर की दुकान का नुकसान का उल्लेख करते हुए वादिया को कुल 50,000/–रूपये का नुकसान व खर्चा हुआ है, जो क्षति वादिया, प्रतिवादी से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। इस मुकदमे में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 06.04.2016 को आदेश पारित किया कि मुकेश ने जानबूझकर झूंठी रिपोर्ट करवाई है, उसके पास जमीन का ना कोई पट्टा

है और न ही रजिस्ट्री है, ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई शांति भंग हुई, औचित्यहीन परिवाद खारिज किया जाता है। इस प्रकार वादिया को वादकारण दिनांक 06.04.2016 को उत्पन्न हुआ और अंत में वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी से क्षतिपूर्ति की रकम 50,000/–रुपये मय ब्याज 2/–रुपये प्रति सैकड़ा की दर से ताफैसला व तावसूली तक दिलवाए जाने का निवेदन किया।

4. अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद का जवाब दावा प्रस्तुत कर यह जाहिर किया कि उनियारा गार्डन मीणा बस्ती, जयपुर में कमरा नं. 3 पिछले 50 वर्षों से प्रतिवादी के पिता घासीलाल का कब्जेशुदा कमरा रहा है। प्रतिवादी के पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त कमरे पर उनकी पत्नी व दोनों पुत्र अपने परिवार के साथ काबिज चले आ रहे हैं। प्रतिवादी ने वादिया के विरूद्ध झूंठी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि घटित घटना के संबंध में सही तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 09.10.2025 को गैर–सायलान राधा देवी, सुनील कुमार व धापू को 6 माह की अवधि के लिए परिशांति कायम रखने हेतु पाबंद किया गया था तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से प्रतिवादी द्वारा घटना की रिपोर्ट करवाना व पुलिस द्वारा जांच कर इस्तगासा दर्ज करना गलत साबित नहीं होता है एवं जमीन के पट्टे और रजिस्ट्री बाबत कोई विवेचना धारा 107, 116 (3) दं.प्र.सं. के प्रकरण में महत्व नहीं रखते है एवं इससे वादिया को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अंत में वाद खारिज किए जाने का निवेदन किया।

5. उपरोक्त अभिवचनों के प्रकाश में विचारण न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए :–

1. आया प्रतिवादी, वादी के विरूद्ध जानबूझकर झूंठा मुकदमा संख्या 3185/2015 दायर किया है ? .....वादी
2. आया मुकदमा संख्या 3185/2015 का फैसला वादी के पक्ष में किया गया ? .....वादी
3. आया उपरोक्त मुकदमे से वादी को मानसिक प्रताड़ना व दुकान का नुकसान हुआ, जिस कारण वादी, प्रतिवादी से 50,000/–रूपये बतौर क्षतिपूर्ति मय ताफैसला एवं तावसूली तक 2/–रूपये प्रति सैकड़ा की दर से प्राप्त करने का अधिकारी है? .....वादी
4. आया वादी को वाद, वादकारण के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है ? .....प्रतिवादी

5. आया वादी का वाद, मियाद बाहर होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है? .....प्रतिवादी
6. आया वादी का वाद, न्यायशुल्क के अभाव में खारिज किए जाने योग्य है? .....प्रतिवादी
7. अनुतोष

6. उपरोक्त विवाद्यकों के संबंध में वादिया की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 राधा देवी को परीक्षित करवाया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत प्रदर्श–3 दस्तावेज पेश किए गए एवं अपीलार्थी–प्रतिवादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.ड.1 के रूप में भागीरथ के बयान लेखबद्ध करवाए तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–9 दस्तावेज पेश किए। जिसके पश्चात दोनों पक्षों को सुनकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी–वादिया श्रीमती राधा देवी द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति व वसूली का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री करते हुए वादिया, प्रतिवादी से दावा खर्चा, मानसिक संताप एवं क्षतिपूर्ति की रकम 50,000/–रुपये की राशि दावा दायरी से तावसूली तक 06 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करने की अधिकारिणी होने का आलोच्य निर्णय पारित किया गया है।

7. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अपीलार्थी–प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो व जवाब दावे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य व विधि का मनन किए, विधि–विरूद्ध रूप से यह दावा डिक्री किया है, जबकि पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रत्यर्थी–वादिया स्वयं के द्वारा अपने वाद पत्र को प्रमाणित नहीं किया गया है, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से साक्ष्य को मूल्यांकित कर दावा डिक्री किया है। प्रमुख रूप से अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि वादिया द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा वादिया को हैरान व परेशान करने के लिए पुलिस में कोई झूंठी रिपोर्ट की गई हो। पुलिस ने बाद जांच शांति भंग होना माना था तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) जिला जयपुर (पूर्व) ने छः महीने की अवधि समाप्ति के आधार पर यह परिवाद खारिज कर दिया, जिसका अभिप्राय यह नहीं हो सकता कि अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा रिपोर्ट झूंठी दर्ज करवाई गई हो। वादिया द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रसीद वगैरह पेश नहीं की है, उसके उपरान्त भी

विचारण न्यायालय द्वारा मनमाने रूप से अनुतोष में वांछित रकम की सीमा तक दावे को डिक्री कर दिया गया है। अतः आलोच्य निर्णय को अपास्त किया जाए।

8. इसके विपरीत बहस के दौरान प्रत्यर्थी–वादिया के विद्वान अधिवक्ता ने अपने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य व विधि का समुचित मूल्यांकन कर आलोच्य निर्णय पारित कर दावा डिक्री किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। विचारण के दौरान प्रतिवादी स्वयं साक्ष्य हेतु उपस्थित भी नहीं आया है व मुख्त्यारखास के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, जबकि मुख्त्यारखास को प्रकरण के तथ्यों का कोई व्यक्तिगत ज्ञान नहीं था, ऐसी दशा में वादिया की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पूर्णतया अखंडित रही है। अपीलार्थी द्वारा अपील में नये आधार लिए गए है, जबकि मूल वाद के जवाब में ऐसे आधार नहीं लिए गए थे। प्रत्यर्थी–वादिया की साक्ष्य से यह पूरी तरह स्पष्ट है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी ने वादिया को हैरान व परेशान करने हेतु झूंठा मुकदमा किया था व मुकदमे का निर्णय वादिया के पक्ष में किया जाकर शांति भंग का परिवाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) जिला जयपुर (पूर्व) द्वारा खारिज किया गया है व इस निर्णय में यह माना है कि वादिया द्वारा कोई लड़ाई–झगड़ा या शांति भंग नहीं की गई। प्रत्यर्थी–वादिया की साक्ष्य से यह पूरी तरह स्थापित किया गया है कि अपीलार्थी के उक्त कृत्य के कारण उसे नुकसान हुआ है, अनावश्यक खर्चा हुआ है तथा हैरानी व परेशानी हुई है। न्यायालय ने इन सभी तथ्यों व विधि को ध्यान में रखते हुए आलोच्य आदेश के माध्यम से दावे को डिक्री किया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई फेर–बदल किया जाना विधि सम्मत नहीं है। परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

9. बहस के प्रकाश में अपील पत्रावली व विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्वीकृत रूप से इस प्रकरण में प्रत्यर्थी–वादिया का प्रमुख आधार यही है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी ने बिना वजह दुराशयपूर्ण आशय से वादिया के विरूद्ध झूंठी व काल्पनिक रिपोर्ट दर्ज कराकर उन्हें अभियोजित करवाया। यह सुस्थापित दीवानी विधि है कि वादी को सर्वप्रथम अपना प्रकरण अपनी साक्ष्य के माध्यम से साबित करना होता है। विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 से 3 को साबित करने

का भार वादिया पर आरोपित किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा इन तीनों विवाद्यकों को वादिया के पक्ष में व प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णीत किया गया है। चूंकि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के आधार पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु पक्षकार को न्यायालय के समक्ष उसके आवश्यक घटक स्थापित करने होते हैं व निर्णय पक्ष में आने मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन विद्वेषपूर्ण था। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चय (2007) 14 एस.सी.सी. 568 पश्चिम बंगाल राज्य इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड बनाम दिलीप कुमार राय में यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन के वाद में वादी को यह स्थापित करना होता है कि अभियोजन का अंतिम परिणाम उसके पक्ष में आया है एवं विपक्षी द्वारा वादी को बिना उचित कारण दुर्भावनावश अभियोजित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उसे आर्थिक व मानसिक नुकसान या संताप पहुंचा है। इस प्रकार उक्त न्यायिक विनिश्चयों में प्रतिपादित सिद्वान्त से यह स्पष्ट है कि वादिया को यह साबित करना है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा पुलिस में मिथ्या व झूंठी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी व इसके साथ–साथ यह भी साबित करना होगा कि उक्त रिपोर्ट रंजिश, दुर्भावना व किसी अन्तर्निहित उद्देश्य (Ulterior Motive) से बिना किसी युक्तियुक्त कारण व संभाव्यता के प्रस्तुत की थी। यदि हम कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त, (मुख्यालय) जिला जयपुर (पूर्व) के आदेश दिनांक 06.04.2016 का अवलोकन करे, तो इस आदेश से स्वतः ही यह प्रमाणित होता है कि इस निर्णय में यह कहीं अंकित नहीं है कि वास्तविक रूप से अपीलार्थी–प्रतिवादी द्वारा जो झगड़े व शांतिभंग की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, ऐसी कोई घटना घटित ही नहीं हुई हो। इस रिपोर्ट की जांच में पुलिस द्वारा लिए गए कथनों के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा यह माना गया कि वादिया–गैरसायल व प्रतिवादी मुकेश के मध्य दिनांक 03.10.2015 को मकान के कमरे को लेकर वाद–विवाद व झगडा हुआ है व गैर–सायल पक्ष द्वारा धमकी दी गई है, जिसके परिणामस्वरूप शांतिभंग होने के प्रबल संभावना प्रतीत होने पर वादिया–गैरसायलान पक्ष को परिशांति बनाए रखने हेतु पाबंद करवाया जाना उचित मानकर जांच अधिकारी द्वारा परिवाद अंतर्गत धारा 107, 116(3) दं.प्र.सं. में कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त (मुख्यालय) जिला जयपुर (पूर्व) के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद प्रकरण संख्या 3185/2015 की

जांच के दौरान कुल चार गवाहान के कथन लेखबद्ध किए गए हैं, जिसमें से जांच अधिकारी रामशरण की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के मध्य मकान के कब्जे को लेकर व ताला खोलने को लेकर झगड़ा हुआ है। प्रत्यर्थी–वादिया के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क पोषणीय नहीं है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय में दिनांक 03.10.2015 को कोई गाली–गलौच या झगड़ा नहीं होने का निष्कर्ष दिया है। यदि उक्त निर्णय दिनांक 06.04.2016 को देखें, तो उक्त न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि परिवादी मुकेश कुमार दिनांक 03.10.2015 को घटनास्थल पर आए थे, उनके पास न तो जमीन का पट्टा है, न ही रजिस्ट्री है तथा दिनांक 03.10.2015 को अपरिवादीगण ने परिवादी को चोट नहीं पहुंचाई, न ही वे उक्त दिवस के बाद आज तक तक आए व कोई गाली–गलौच व लड़ाई–झगड़ा किया। अतः परिवाद में आयन्दा कोई कार्यवाही किया जाना औचित्यहीन होने से परिवाद खारिज किया जाता है। कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में यह नहीं कहा है कि दिनांक 03.10.2015 को कोई झगड़ा–फसाद मौके पर नहीं हुआ हो, बल्कि यह माना है कि उक्त दिवस को परिवादी मुकेश को कोई चोट नहीं आई है तथा निर्णय में यह भी नहीं कहा है कि उस दिवस को ऐसा कोई गाली–गलौच या लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो, बल्कि इस दिवस के बाद निर्णय के दिवस तक कोई लड़ाई झगड़ा व गाली–गलोच नहीं हआ है, यह अंकित किया है। स्वयं प्रत्यर्थी–वादिया पी.ड.1 राधा देवी ने विचारण न्यायालय में अपनी सशपथ साक्ष्य में प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि मुकेश से सन 2015 में हमारा झगड़ा हुआ था, मुकेश ने थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी, मारपीट का केस किया और छः माह के लिए पाबंद करवाया था। इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि झगड़ा होने के बाद में मैंने एक दूसरा मुकदमा किया था। इस गवाह ने स्पष्टतः यह स्वीकार किया है कि यह सही है कि झगड़ा हुआ था, इसलिए पाबंद किया था।

10. इस प्रकार पुलिस जांच अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जांच के दौरान ली गई साक्षियों की साक्ष्य व निर्णय दिनांक 06.04.2016 से यह स्वतः प्रमाणित है कि दिनांक 03.10.2015 को पक्षकारों के मध्य मकान के कब्जे आदि को लेकर झगड़ा–फसाद हुआ है, जिससे पुलिस को शांति भंग होने की युक्तियुक्त संभावना प्रतीत हुई है, उसी के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी–वादिया व अन्य पक्ष के विरूद्ध कार्यपालक

मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया। अतः यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी–प्रतिवादी ने दुर्भावनापूर्वक प्रत्यर्थी–वादिया को विद्वेषपूर्ण आशय से अभियोजित करने की कार्यवाही प्रारंभ की हो। यह सही है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी विचारण न्यायालय में बतौर साक्षी उपस्थित नहीं हुआ है। चूंकि स्वयं प्रत्यर्थी–वादिया द्वारा अपने वाद पत्र के अभिवचनों को साबित नहीं किया गया है, ऐसी दशा में उक्त तथ्यों को ना–साबित करने का भार अपीलार्थी–प्रतिवादी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब वादिया ही अपना केस साबित नहीं कर पाई है, तो प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश करने या नहीं करने की कोई अधिक विधिक प्रासंगिकता शेष नहीं रह जाती है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इन विवाद्यकों के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह पूर्णतः अयुक्तियुक्त है व यह निष्कर्ष साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन किए बिना व सुसंगत विधि का सही रूप से विवेचन किए बिना दिया गया है, जो विधितः संवहनीय नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 1 से 3 को प्रत्यर्थी–वादिया अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहना स्पष्ट होती है।

11. जहां तक विवाद्यक सं. 4 से 6 का प्रश्न है, इन तीनों विवाद्यकों को साबित करने का भार प्रतिवादी पर अधिरोपित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा इन तीनों विवाद्यकों का निर्णय अपीलार्थी–प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया गया है। यदि इन तीनों विवाद्यकों के निष्कर्ष को देखा जाए, तो पूर्व विवेचन के प्रकाश में यह स्वतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी–प्रतिवादी का यह तर्क पोषणीय नहीं है कि वादिया को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ हो एवं उसका वाद अवधि वर्जित हो और कम न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया हो। ऐसी दशा में इन तीनों विवाद्यकों पर विद्वान विचारण न्यायालय का निष्कर्ष युक्तियुक्त व समुचित होने के कारण उक्त निष्कर्ष में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है।

12. अतः विवाद्यक संख्या 1 से 3 के पूर्वोक्त विवेचन व विनिश्चय के प्रकाश में अपीलार्थी–प्रतिवादी की यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य होने व विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है।

:: आदेश ::

13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी–प्रतिवादी मुकेश मीणा की ओर से प्रत्यर्थी–वादी श्रीमती राधा देवी के विरूद्ध प्रस्तुत यह दीवानी नियमित अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 21.08.2025 अपास्त किया जाता है। खर्चा अपील पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा बनाया जाए। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली अविलम्ब लौटाई जाए।

(ब्रजेन्द्र जैन)
जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

14. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र जैन)
जिला न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

सत्यपाल/

SATYA PAL SHARMA

23.03.2026 16:49
Stenographer
"Authenticated Document"